

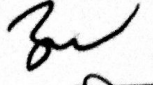
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्रीमती राधा देवी **बनाम** राजस्थान कायमखानी महारामा डीडवाना
शाखा भीलवाडा वगै.

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 108/2022

08.03.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-108/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण हजुरी रावणा राजपूत निवासी आरजिया हाल मकान नं. एस 10/196 लेबर कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा। -प्रार्थीया

बनाम

- 1 राजस्थान कायमखानी महासभा डीडवाना नागौर रजिस्ट्रेशन नं. 316/1978-80 शाखा भीलवाड़ा जरिये सावत खान कायमखानी।
- 2 शारदा देवी पत्नी श्री सुरेश ब्राम्हण निवासी यूआईटी के पीछे सुभाष नगर भीलवाड़ा।
- 3 जगदीश, नारायणी, भैरू पुत्र/पुत्री श्री बालू गुर्जर निवासी हीरा जी का खेड़ा आरजिया तहसील व जिला भीलवाड़ा।
- 4 सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा।
- 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 08.03.2022

प्रार्थीया की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भदाली खेड़ा प0ह0 आरजिया भू0अ0नि0 सांगानेर में स्थित आराजी नम्बर 768/3 रकबा 0.5058 भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहती है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम भदाली खेड़ा प0ह0 आरजिया भू0अ0नि0 सांगानेर में स्थित आराजी नम्बर 768/3 रकबा 0.5058 भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम भदाली खेड़ा प0ह0 आरजिया भू0अ0नि0 सांगानेर में स्थित आराजी नम्बर 768/3 रकबा 0.5058 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/- रुपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीया जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सांगानेर 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावे।

कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 सांगानेर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।



(आम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा